



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cghb.gov.in

RERA REGISTRATION : PCGRERA121021001280

सामान्य आवास कॉलोनी, नरदहा, रायपुर

MIG-I Houses | LIG Houses



टोल फ्री नं. 18001216313

मकान नहीं घर बनाते हैं - पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं

MIG-I



MIG-I



- Plot Size -
9.00 Mtr. X 12.00 Mtr.
- Plot Area -
108.00 Sqm. / 1162.08 sqft.
- Super Built-up Area -
101.20 Sqm. / 1088.91 sqft.

प्रस्तावित भवनों का सामान्य विवरण

स्ट्रक्चर-

आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर

सुपरस्ट्रक्चर -

फ्लाइ एश ईट 20 से.मी. दिवाल/पार्टीशन वाल 10 सेमी.

दरवाजे एवं खिड़कियाँ -

लकड़ी का फ्रेम सहित फ्लश डोर तथा एल्युमिनियम सेक्शन खिड़कियाँ

फिनिशिंग -

प्लास्टर सहित आंतरिक एवं बाहरी दिवालों में पुट्टी आंतरिक दिवालों में डिस्टेंपरिंग एवं बाहरी दिवालों में वेदर कोट।

जल प्रदाय एवं सिवरेज व्यवस्था -

जी.आई. पाईप फिटिंग्स एवं 1000 लीटर पी.व्ही.सी. वाटर टैंक, अप्रुव्ड मेक डब्ल्यू. सी. सीट एवं वाशबेसिन।

आंतरिक विद्युतीकरण -

अप्रुव्ड फिटिंग्स के साथ कंसल्टड वायरिंग।

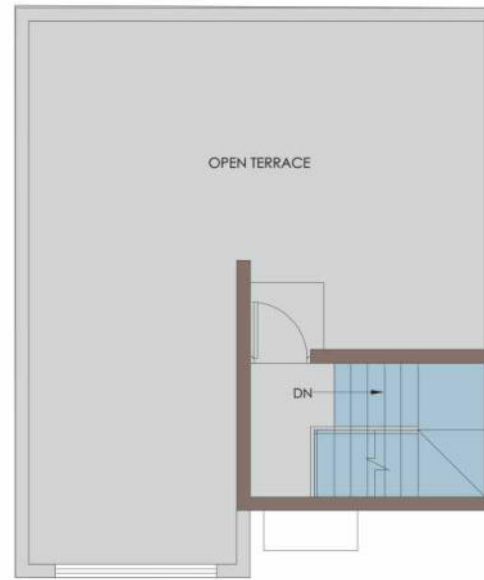
LIG



LIG



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN

- Plot Size -
7.00 Mtr. X 12.00 Mtr.
- Plot Area -
84.00 Sqm. / 903.84 sqft.
- Super Built-up Area -
58.90 Sqm. / 633.76 sqft.

प्रस्तावित भवनों का सामान्य विवरण

स्ट्रक्चर-

आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर

सुपरस्ट्रक्चर -

फलाई एश ईट 20 से.मी. दिवाल/पार्टीशन वाल 10 सेमी.

दरवाजे एवं खिड़कियाँ -

लकड़ी का फ्रेम सहित फ्लश डोर तथा एल्युमिनियम सेक्शन खिड़कियाँ

फिनिशिंग -

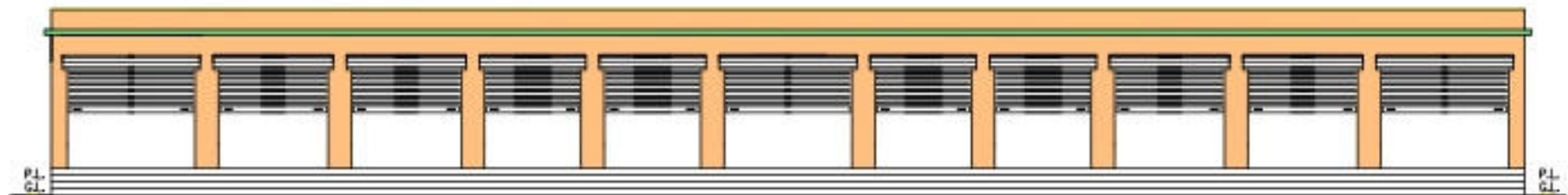
प्लास्टर सहित आंतरिक एवं बाहरी दिवालों में पुट्टी आंतरिक दिवालों में डिस्टेंपरिंग एवं बाहरी दिवालों में वेदर कोट।

जल प्रदाय एवं सिवरेज व्यवस्था -

जी.आई. पाईप फिटिंग्स एवं 500 लीटर पी.व्ही.सी. वाटर टैंक, अप्रुव्हड मेक डब्ल्यू. सी. सीट एवं वाशबेसिन।

आंतरिक विद्युतीकरण -

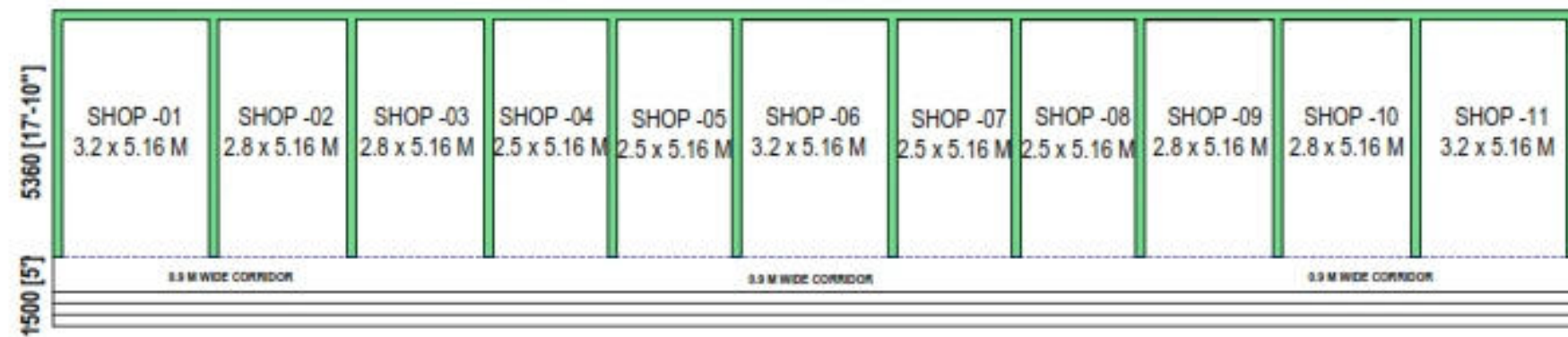
अप्रुव्हड फिटिंग्स के साथ कंसल्टड वायरिंग।



FRONT ELEVATION

SCALE: 1:100

33200 [110'-8"]



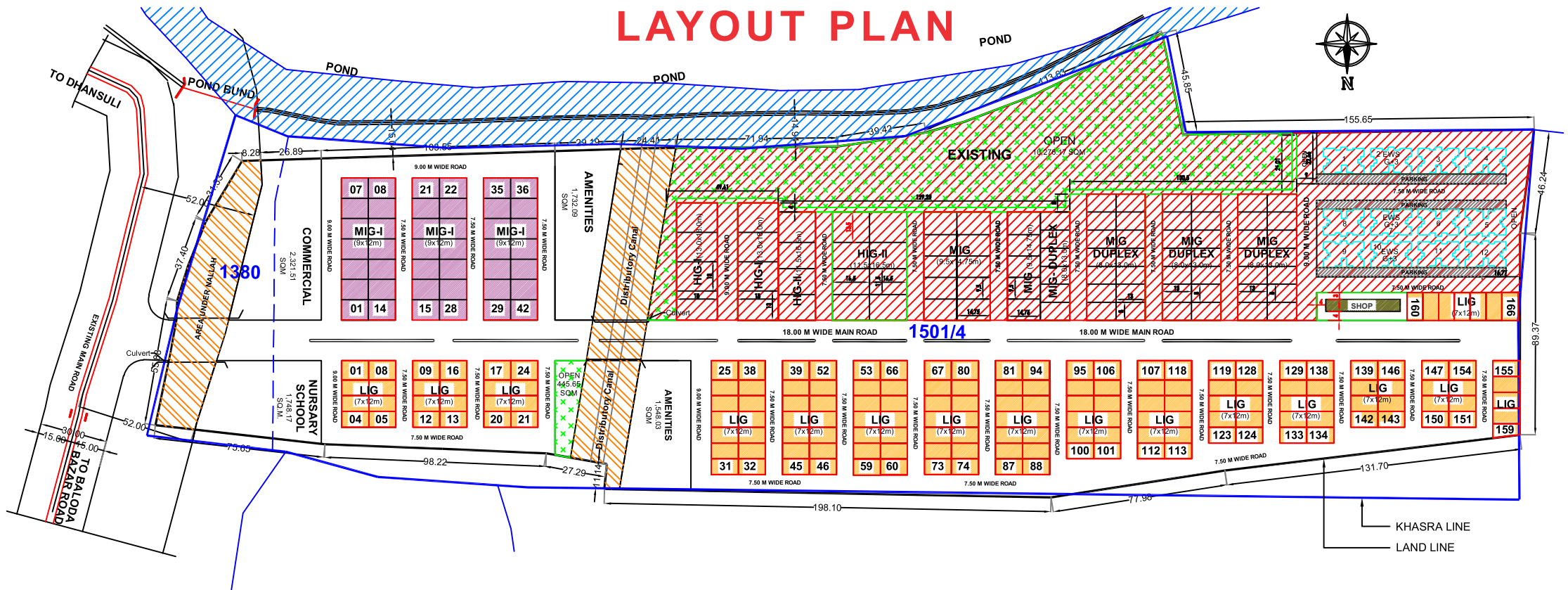
COMMERCIAL PLAN

SCALE: 1:100

Index (proposed Houses)

- MIG-I**
Size 9.00 Mtr. x 12.00 Mtr.
- LIG**
Size 7.00 Mtr. x 12.00 Mtr.
- SHOP**

LAYOUT PLAN



ऑनलाईन पंजीयन / आबंटन की प्रक्रिया (स्ववित्तीय आधार पर)

नियम एवं शर्तें...

1. नियत समयावधि में जितने भी पंजीयन प्राप्त होंगे उन सभी पंजीयन कर्ताओं को ऑनलाईन लाटरी के माध्यम से भवन / फ्लैट्स आबंटित किये जावेंगे।
2. यदि पंजीयनकर्ता ऑनलाईन लाटरी से आबंटित भवन को स्वीकार नहीं करता है तो नियमानुसार मंडल को भुगतान की गई कुल राशि में से पंजीयन राशि कटौती/राजसात की जाकर शेष राशि लौटाई जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
3. भवन का आबंटन मंडल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। (1.) अनुसूचित जाति 6% (2.) अनुसूचित जनजाति 4% (3.) पिछड़ा वर्ग 6% (4.) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (5.) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (6.) शारीरिक विकलांगों के लिए 3% (7.) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (8.) पत्रकार 2% (9.) शासकीय कर्मचारी (रायपुर) के लिए 5% (10). शासकीय कर्मचारी अन्य नगर के लिए 3% (11.) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग के लिए 2% (12.) मंडल के कर्मचारियों के लिए 1%।
4. ऑनलाईन लाटरी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है एवं हर परिस्थिति में ऑनलाईन लाटरी की प्रक्रिया ही मंडल की ओर से मान्य होगी।
5. भवनों के पंजीयन प्राप्त करने के पश्चात ऑनलाईन लाटरी के माध्यम से आबंटन की जावेगी।
6. लाटरी मण्डल नियमानुसार प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा की जावेगी। जिसमें किसी भी प्रकार की मैन्युअल व्यवधान / हस्तक्षेप नहीं होगा।
7. मण्डल द्वारा भवन आबंटन/ ऑनलाईन लाटरी मण्डल में प्रचलित नियमों। के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
8. ऑनलाईन पंजीयन अंतर्गत पंजीयनकर्ता स्वयं की जानकारी प्रविष्टि कर मण्डल नियमानुसार निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने पश्चात पेमेंट गेटवे के माध्यम से RTGS / NEFT / NET BANKING/ UPI/ DEBIT CARD/ CREDIT CARD द्वारा भुगतान कर सकता है।
9. आवेदक द्वारा परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार का मैन्युअल पंजीयन/डाक /ऑफलाईन फार्म/अपूर्ण जानकारी/ अपूर्ण भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी /दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर किसी भी समय आबंटन निरस्त करने हेतु मण्डल सक्षम होगा।
10. ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु मण्डल नियमानुसार दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
11. भवनों के 60% पंजीयन प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
12. भवनों के आबंटन / लाटरी में समय-समय पर मण्डल द्वारा जारी किये गये परिपत्रों / नियमों का पालन किया जावेगा।
13. एल.आई.जी. भवनों के आवेदन के लिए पारिवारिक वार्षिक आय रु. 6.00 लाख तक को ही पात्रता होगी।



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cghb.gov.in



: सम्पर्क :

संपदा प्रबंधन

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, प्रक्षेत्र-2, शंकर नगर, रायपुर

मो.: 9340389792, 9340792360, 7693931724, 9993339779

कार्यपालन अभियंता

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग-2, सड्डू, रायपुर

मो.: 9425249631, 8269069091, 9827175003

टोल फ्री नं. 18001216313

www.cghb.gov.in

विशेष टीप- इस विवरण पुस्तिका में दिए गए माप, विशिष्टियां, अभिन्यास आदि वास्तुविद् द्वारा परिकल्पित आधार पर तैयार ड्राईंग एवं छायावृत्तियां हैं। इनमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अथवा वास्तुविद्/सलाहकार द्वारा परिवर्तन/विस्तार आदि आवश्यकतानुसार किये जा सकते हैं। यह वैधानिक दस्तावेज नहीं है।